

कार्यालय
आयकर आयुक्त
शिमला, हि.प्र.।

दिनांक : 4.2.2010

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अधीन आदेश :

एच०पी०फौर्रेस्ट स्पोर्ट्स एण्ड वेलफेयर सोसायटी, मिरट चेम्बर, खलीणी, शिमला -2 ने विहित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है।

2. उपरोक्त ट्रस्ट के आवेदन पर विचार करने के बाद ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए दिनांक 1.4.2009 से उपयुक्त पाया गया है, अतः उसी तिथि से धारा 12 कक(1)(ख) के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है।

3. संस्था को इस कार्यालय के पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक H-90 पर इन्दराज किया गया है। अतः ट्रस्ट को नि० वर्ष 2010-11 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 एवं 12 के अन्तर्गत पंजीकरण के लाभ मिलेंगे।

ए००००००

(अखिलेश रंजन)

आयकर आयुक्त,
शिमला, हि.प्र.।

3118
3/2/10 प्रति प्रेषित है :

1. आवेदक संस्था को (पंजीकृत डाक से)।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड -3, शिमला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. आयकर संयुक्त आयुक्त, शिमला रेंज, शिमला को सूचनार्थ।
4. आयकर मुख्य आयुक्त, हि.प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ।

क००००००

(वी०पी०सेतिया)

आयकर अधिकारी, (तक०),
शिमला, हि. प्र.।